सुस्थापित केन्द्रों में अंतराष्ट्रीय मानकों से की जा सकती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय वक्ष केन्द्र में शल्यक्रिया के उपरांत बढ़े हुए संक्रमण की व्यापतता को निर्दिष्ट करने संबंधी कोई प्रमाण नहीं है। अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित की गई निर्जीवाणुकरण और धूमन की क्रियाविधियों और मानदंडों का पालन किया जा रहा है।

Milk fed on Bovine

3376. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of that U.S. General Accounting office has called for a ban on milk fed on bovine somato-tropin (BST); and

(b) whether NDRI/NDDB/ICAR/ ICMR projects have been developing this technique for India, and if so, whether this would be scrapped?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D.K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

3377. *[Transferred to 17th December,* 1992]

Society for Voluntary Action for family Welfare and Health

3378. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government arc planning an outlay of Rs. 150 crores for setting up a society for voluntary action for family welfare and health and if so, the reasons therefor; and

(b) whether national level voluntary organisations like the Voluntary Health Association of India and others have been consulted in the preliminary stages and if so, their reaction in regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D.K. THARA DEVI SIDDHARTHA):
(a) No Sir.

(b) Does not airse.

परिवार नियोजन और नेत्र रोगों के लिए उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

3379. श्री ईश दत्त यादवः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्ष के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में परिवार नियोजन और नेत्र रोगों, आदि के उपचार कार्यों में लगे उत्तर प्रदेश के कितने-कितने स्वयंसेवी संगठनों को सरकार ने अनुदान दिया है;

(ख) ऐसे प्रत्येक संगठन को दी गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस व्यय की उपयोगिता का पता लगाने की कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन और आंखों के रोगों के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं:—

(i) पी वी ओ एच-(II) और (II) स्कीमें।

(ii) स्कोवा स्कीमें।

(iii) प्रायोगिक/नवपरिवर्तनकारी स्कीमें।

(iv) दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम।

(v) जिला/उपजिला स्तर पर अखिल भारतीय प्रसवोत्तर कार्यक्रम आदि से संबंधित विशेष स्कीमें बन्ध्यकरण पलंग स्कीमें और शहरी पुनरूद्धार स्कीमें।

पी वी ओ एच की प्रायोगिक/नवपरिवर्तनकारी स्कीमों और स्कोवा स्कीमों के अन्तर्गत स्वैच्छिक